कार्यकारी और गैर कार्यकारी महिलाओं में महिला आधिकारों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

Mr. Jitendra Kumar Singh*

Dr. Ijmal Ahmad**

*Assistant Professor, School of Education, Galgotias University, Greater Noida, UP.

**Assistant Professor School of Education, Galgotias University, Greater Noida, UP.

सारां"ा

दे"ा भर में नारी उत्थान की बात बड़े जोर शोर से उठाई जाती है लेकिन दे"ा की अधिकां"ा महिलाओं को सही मायने में उनके अपने अधिकारों की जानकारी न के बराबर है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किये गए है उनका सही उपयोग वो जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती है प्रस्तुत अध्ययन का उद्धे"य यही ज्ञात करना है कि महिलाओं में अपने अधिकारों की कितनी जानकारी है। इस अध्ययन पेपर में कार्यकारी और गैर कार्यकारी महिलाओं में महिला अधिकारों की जागरुकता का अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिन्दुः कार्यकारी महिला, महिला आधिकार, जागरूकता

अध्ययन की पृष्ठभूमि

प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है कि, ''यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक दे"ा के विकास का सर्वाधिक उज्जवल पमाण वहां की नारियों की स्थिति से होता है''।

अगर समाज में नारी न हो तो पुरुष कहां से आंऐगे। नारी जन्मदायिनी है, इस सृष्टि का सूत्राधार है।

' नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वि"वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुदर समतल में।।'

समाज में नारियों ने प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक आदि में योगदान किया है। आधुनिक युग में महिलाओं की भूमिका घर एवं बच्चें के पालन–पोषण तक ही सीमित नहीं है। उनकी भूमिका घर से बाहर भी है। आज वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास योजनाओं में कार्यरत है उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जितनी पुरुषों की।

लेकिन स्वतंत्रता के पांच द"ाको के इतिहास का यदि अवलोकन किया जाये, तो पायेंगे कि स्वंतत्रता का प्रयोग जितना पुरुषों ने किया है, उतना महिलाओं ने नहीं। वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने अधिकारों को पाने तथा अधिकारों के हनन व अत्याचारों को रोकने की जद्योजहद में जीवन यापन की है। महिलाएं आज उपभोक्ता, मैनेजर, वकील, डॉक्टर जैसे बहुआयामी भूमिकाएं निभा रही है परन्तु अधिकतर महिलाओं के कार्यों को सरल तथा महत्वहीन समझा जाता है। अतः पग–पग पर वे तिरस्कृत, असुरक्षित एवं उत्पीड़ित हो रही है। महिलाओं पर जितने कहर वर्तमान समय में ढाये जाने लगे हैं उतने कभी नहीं ढाये गये। महिला उत्पीड़न की घटनायें द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ रही है महिलाओं को आये दिन अपहरण, छेड़छाड, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बाल–विवाह आदि से रुबरु होना पड़ रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रहे असमान व्यवहार और उनकी असुरक्षा को मद्येनजर रखते हुए संविधान में महिलाओं को उनकी सुरक्षा, समानता और गरिमा को बनाए रखने के लिए वि"ोष अधिकार दिये गए।

आज महिलाओं के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे है । भारत के संविधान में महिलाओं कों समान दर्जा देने और उनके अस्तित्व को कायम रखने के लिए वि"ोष रुप से महिला अधिकारों की व्यवस्था की गई है ।

भारत में प्रजातात्रिंक प्रणाली लागू होते ही महिलाओं को भी पुरूषों के समान मताधिकार प्राप्त हुआ। परन्तु यह अधिकार तब व्यर्थ जाएगा यदि महिलाओं को इस बात की समझ ही न हो कि उनके मत से राष्ट्र संबंधी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय प्रभावित हो सकता है। इसके लिये महिलाओं को शक्ति"ाली व जागरूक बनाने की आव"यकता है

अध्ययन की आव"यकता

महिला अधिकार वि"ोष रुप से महिलाओं के लिए बनाए गए है । महिलाओं को उनकी सुरक्षा, समानता, न्याय आदि अधिकार प्राप्त है। परन्तु महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वो इनका सही प्रयाग नही कर पाती है क्योंकि महिलाओं में अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी और उनको उपयोग में लाने की अज्ञानता है कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो ि"ाक्षित और कार्यकारी होने के बाद भी अपने अधिकारों की जानकारी कम रखती है और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो अपने अधिकारों की जानकारी रखते हुए भी उनका सही प्रयोग नहीं करती है।

महिलाओं में इसी जागरुकता का अध्ययन करने के लिए इस विषय का चयन किया है कि क्या महिलाओं को वास्तविक रुप से इन अधिकारों की जानकारी है और अगर जानकारी है तो क्या वो इन अधिकारो का सही प्रयोग कर रही है और साथ ही इस अध्ययन के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाएगा और सही जानकारी प्रदान की जाएगी और यह जाना जाएगा कि महिलाएं अपने अधिकारो के प्रति कितनी जागरुक है। अतः इस शोध अध्ययन की आव"यकता यह जानना है कि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरुकता है।

अध्ययन के उदद्े"य

- कार्यकारी शहरी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना ।
- कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना
- गैर–कार्यकारी शहरी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना ।
- गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारा के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना ।
- कार्यकारी शहरी और गैर–कार्यकारी शहरी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कार्यकारी ग्रामीण और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

- कार्यकारी और गैर–कार्यकारी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है ।
- कार्यकारी शहरी और गैर–कार्यकारी शहरीं महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है।
- कार्यकारी ग्रामीण और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

अध्ययन की सीमाएं

- अध्ययन को फरीदाबाद जनपद तक ही सीमित रखा गया।
- अध्ययन को फरीदाबाद शहर की कार्यकारी और गैर कार्यकारी महिलाओं तक ही सीमित रखा गया।
- अध्ययन को फरीदाबाद के पाली गांव की कार्यकारी और गैर कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित रखा गया।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

- राहुल, 2010, भारतीय समाज के परिवर्तन में फरीदाबाद जिले के सेवारत् एवं असेवारत् महिलाओं के योगदान का अध्ययन, एम.एड. मर्हिष दयानंद वि"वविद्यालय
- मुतालिक, स्वाति. 1991 महिलाओं में शैक्षिक एवं समाजिक जागरूकता, एम0 फिल0, पूना वि"वविद्याालय।
- समनगला, वी0 एवं व"ाादेवी, वी0 के0 (2008). इडियन जर्नल आफॅ टीचर एजुके"ान, नई दिल्ली, वोल्युम–1, न0–1, पी0पी0–22–24,
- सिंह, सुधा बाला. 1989. 'परिवारिक समायोजन के संदर्भ में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी महिलाओं के व्यक्तित्व का और उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की प्रविधियां

- सर्वेक्षण अध्ययन के लिए वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया ।
- जनसंख्या एवं न्यायद"ान तकनीकी

  अध्ययन से संबंधित समंकों का एकत्रीकरण करने के लिए हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर की कार्यकारी और गैर कार्यकारी शहरी महिलाओं और पाली गांव की कार्यकारी और गैर कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं को लिया गया । प्रस्तुत अध्ययन हेतु 100 महलिाओं का सम्भाव्य न्यायद"ा क अन्तर्गत यार्दृच्छिक न्यायदर्श विधि से किया गया ।

अध्ययन में प्रयुक्त चर

- महिला अधिकार भारत के संविधान में महिलाओं की सुरक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए कुछ अधिकार बनाए गए है उनको महिला अधिकार कहते है।
- कार्यकारी महिला कार्यकारी महिलाएं वो है जो किसी कार्य में लगी हुई हो और उस कार्य का उनको वेतन या परिश्रामिक मिलता है
- गैर–कार्यकारी महिला गैर–कार्यकारी महिलाएं वो है जो सिर्फ घर पर ही रहकर घरेलू कार्य करती है और इन महिलाओं को घरेलू कार्य करने का कोई वेतन नहीं मिलता है
- जागरुकता जागरुकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को संवेदनाओं, अनुभवों घटनाओं तथा अधिकार के प्रति आंतरिक रुप से सचेत करती है ।

प्रदत्त संग्रहण उपकरण एवं तकनीकी

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन करने के लिए समकों का एक़त्रीकरण स्वं–निर्मित प्र"ानावली का प्रयोग करके किया गया।

प्रदत्तों का वि"लेषण एवं अर्थापन

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों का वि"लेषण करने के लिए स्वं–निर्मित प्र"ानावली का प्रयोग किया गया और प्रदत्तों का वि"लेषण और परिकल्पना की सार्थकता के लिए कुछ सांख्यिकीय तकनीकियों मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन और टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्येक परिकल्पना का वर्णन निम्न हैः

H0 1 :– कार्यकारी और गैर–कार्यकारी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

परिकल्पना की सार्थकता का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी कार्यकारी और गैर कार्यकारी महिलाओं के द्वारा प्राप्त अंको का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया और फिर सार्थकता के लिए टी–मूल्य ज्ञात किया। परिकल्पना की सार्थकता के लिए प्राप्त अंको की गणना का वर्णन तालिका नं0 1 में किया हैः–

Table-1

न्याद"ा	N	Mean	SD	(t -value)	(Significant Leval)
कार्यकारी महिलाएं	50	40.6	8.16	1.88	(0.01)* (0.05)*
गैर–कार्यकारी	50	43.6	7.8		

(0.01level CR=2.58)*=not significant (0.05 level CR=1.96)*= not significant

व्याख्याः– उपरोक्त तालिका में कार्यकारी महिलाओं का मध्यमान 40.6 और प्रमाणिक विचलन 8.16 है और गैर कार्यकारी महिलाओं का मध्यमान 43.6 और प्रमाणिक विचलन 7.8 है। कान्तिक अनुपात मान 1.88 प्राप्त हुआ। जो सारणी मान 0.01 स्तर पर प्राप्त मान 2.58 से कम और 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आव"यक मान 1. 96 से कम है अतः हम 95 प्रति"ात और 99 प्रति"ात वि"वास के साथ कह सकते हैं कि अध्ययन हेतु निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

H0 2 :– कार्यकारी शहरी और गैर–कार्यकारी शहरी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना की सार्थकता का अध्ययन करने के लिए शोधकर्त्री ने कार्यकारी शहरी और गैर–कार्यकारी शहरो महिलाओं के द्वारा प्राप्त अंको का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया और फिर सार्थकता के लिए टी–का मान निकाला। परिकल्पना की सार्थकता के लिए प्राप्त अको की गणना का वर्णन तालिका नं0 2 में किया हैः–

तालिका नं0 2

न्याद"र्ा	N	Mean	SD	(t -value)	(Significant Leval)
कार्यकारी महिलाएं	30	40	7.87	2.14	(0.01)* (0.05)**
गैर–कार्यकारी महिलाएं	30	44	6.55		

(0.01 level 2.58)*= Not significant (0.05 level 1.96)**= significant

व्याख्याः– उपरोक्त तालिका में कार्यकारी शहरी महिलाओं का मध्यमान 40 और प्रमाणिक विचलन 7.87 है और गैर कार्यकारी शहरी महिलाओं का मध्यमान 44 और प्रमाणिक विचलन 6.55 है और कान्तिक अनुपात 2.14 प्राप्त हुआ। जो सारणी मान 0.01 स्तर पर प्राप्त 2.58 मान से कम है जबकि 0.05 स्तर पर प्राप्त मान 1.96 से अधिक है अतः हम 95 प्रति"ात वि"वास के साथ कह सकते हैं शोधकर्ती द्वारा निर्मित परिकल्पना अस्वीकार की जाती है जबकि 0.01 स्तर पर 99 प्रति"ात वि"वास के साथ कह सकते हैं अध्ययन हेतु निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

Ho 3:– कार्यकारी ग्रामीण और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

परिकल्पना की सार्थकता का अध्ययन करने के लिए शोधकर्त्री न कार्यकारी और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा प्राप्त अंको का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया और फिर सार्थकता के लिए टी–का मान निकाला। परिकल्पना की सार्थकता के लिए प्राप्त अको की गणना का वर्णन तालिका नं0 4.4.3 में किया हैः

तालिका संख्या 3

न्याद"र्ा	N	Mean	SD	(t -value)	(Significant Leval)
कार्यकारी महिलाएं	20	41.15	8.58	0.635	(0.01)* (0.05)*
गैर–कार्यकारी महिलाएं	20	43	9.37		

(0.01 level 2.58)*= Not significant

(0.05 level 1.96)* = not significant

व्याख्याः– उपरोक्त तालिका में कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 41.15 और प्रमाणिक विचलन 8.58 है और गैर कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 43 और प्रमाणिक विचलन 9.37 है। और कान्तिक अनुपात 0. 635 प्राप्त हुआ। जो सारणी मान 0.01 स्तर पर मान 2.58 से कम और 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आव"यक मान 1.96 दोनो से कम है है अतः हम 95 प्रति"ात और 99 प्रति"ात वि"वास के साथ कह सकते हैं

कि अध्ययन हेतु निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अतः दोनो मध्यमानों के बीच सार्थक अंतर नहीं है और परिकल्पना स्वीकार की जाती है। कार्यकारी और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जानकारी रखती है।

मुख्य प्राप्तियां एवं निष्कर्ष

- कार्यकारी और गैर–कार्यकारी शहरी महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद वि"लेषण से निष्कर्ष निकला की कार्यकारी शहरी महिलाएं, गैर कार्यकारी महिलाओं की तुलना में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक है।
- कार्यकारी और गैर–कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना। अध्ययन के बाद वि"लेषण से निष्कर्ष निकला की कार्यकारी ग्रामीण महिलाओं की तुलना में गैर कार्यकारी ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक है।

सदंर्भ ग्रंथ सूची

- चंद्रा, ि"वेन्द्र सेती एन्ड शर्मा, राजेन्द्र के. '' रिसर्च एुजके"ान'', एटलांटिक पब्लि"ार एन्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली
- शर्मा, आर. ए. 2007 संस्करण ''एस"ांनल ऑफ साईंसटिफिक रिसर्च'', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
- मानव अधिकार स्त्रोत ग्रन्थ 1998, एन. सी. ई. आर. टी.
- मंगल, डॉ. अं"I, ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियां एवं शैक्षिक सांख्यिकी'', राधा प्रका"ान मंदिर आगरा–282002
- बुच, एम. बी. 1988–92 '' 5th सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुके"ान'', मेरठ, वाल्युम–II
- जैन, रचना, 2004. '' भारतीय नारी और समाज'' के. एस. के. पब्लि"ार एन्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली